



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102025-266906
CG-DL-E-14102025-266906

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4516]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 13, 2025/आश्विन 21, 1947

No. 4516]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 13, 2025/ASVINA 21, 1947

गृह मंत्रालय
(सीटीसीआर प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4645(अ).—केंद्रीय सरकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 49), की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा जांच किए जा रहे मामले सं **RC-30/2021/NIA/DLI** से जुड़े हुए अपराध में उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (बी) में निर्दिष्ट अपराधों के परीक्षण के लिए, अपर सत्र न्यायाधीश-03, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11011/68/2021/एनआईए]

अरविन्द खरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(CTCR Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th October, 2025

S.O. 4645(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of Prevention of Corruption Act, 1988 (Act 49 of 1988), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Delhi, hereby appoints the Court of Additional Sessions Judge-03, Patiala House Courts, New Delhi as Special Judge, for trial of offences specified in clauses (a) & (b) of Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, in connected offence to NIA case RC-30/2021/NIA/DLI, being investigated by National Investigation Agency.

[F. No. 11011/68/2021/NIA]

ARVIND KHARE, Jt. Secy.